ालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/838
प्रकरण संख्या 89/21

अनवान

1. श्रीमती गीता बाई पत्नी श्री भेरूलाल जी जटिया निवासी बडगांव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :—22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बडगावं, पटवार हल्का बडगांव, भू अभिलेख निरिक्षक बडगांव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में साबिक खसरा नम्बर 1469/3 रकबा 4 बीघा स्थित होकर प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से अंकित थी। खसरा नम्बर 1469/3 का नवीन खसरा नम्बर 3420 क्षेत्रफल 0.8600 हैक्टेयर है। उक्त खसरा नम्बर 1469/3 रकबा 4 बीघा राजस्व नक्शे में तरमीम सुदा होकर आराजी नम्बर 1469/3 के पूर्वी दिशा 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1469/7 है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में नवीन खसरा नम्बर 3420 क्षेत्रफल 0.8600 हैक्टेयर तो सही अंकित किया है लेकिन साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में गलत तरमीम किया गया है जिसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

I. यह कि राजस्व ग्राम बडगांव की जमाबंदी संवत 2078—81 खा.सं. 99 आ.न. 3420 रकबा 0.8600 है. भूमि गीताबाई पत्नी भेरूलाल जटिया निवासी बडगांव के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। बन्दोबस्त से पूर्व गत आराजी नं. 1469/3 रकबा 4 बीघा जमाबंदी संवत् 2050—53 के खाता सं. 112 गीताबाई पत्नी भेरूलाल जटिया निवासी बडगांव के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। मिलान क्षेत्रफल अनुसार आ.न. 1469/3 रकबा 4 बीघा के नवीन न. 3420 बने है।

II. यह है कि गत आ.न. 1469/3 रकबा 4 बीघा की तरमीम नक्शा ट्रेस अनुसार प्रपत्र ए में प्रदर्शित है। जबकि भू—प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में तरमीम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.)

स्थिति प्रपत्र बी में प्रदर्शित है। दोनों नक्शों की स्थिति मिलान करने पर गत आ.न. 1469/3 एवं नवीन आ.न. 3420 की स्थिति में स्पष्ट रूप से भिन्नता प्रदर्शित होती है।

III. यह है कि गत आ.न. 1469/3 रकबा बीघा के पुराने नक्शा अनुसार नवीन आ.न. 3423 के नक्शे की आकृति से मिलान होती है। चूंकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आ.न. 3423 गत आ.न. 1469/6 है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नवीन आ.न. 3423 छगनलाल पुत्र लालु हिस्सा 1/2 जाति जटिया निवासी कियाखेडा एवं नवलराम पुत्र लालु हिस्सा 1/2 जाति जटिया निवासी कियाखेडा नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का क्षेत्रफल 0.8600 हैक्टेयर है। उक्त आराजी के गत आ.न. 1469/6 रकबा 4 बीघा की गत नक्शे में तरमीम की वर्तमान नक्शे में तरमीम से भिन्नता है। गत नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम की मिलान स्थिति आ.न. 3420 से मिलती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की साबिक आराजी नम्बर 1469/3 (जिसके नवीन आराजी नम्बर 3420 क्षेत्रफल 0.8600 हैक्टेयर) रकबा 4 बीघा में नवीन सेटलमेन्ट के बाद तरमीम गलत की गई जिसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया के जमाबंदी सवत् 2050–53 में आराजी नम्बर 1469/3 रकबा 4 बीघा खातेदार गीताबाई पत्नी भेरूलाल सा. देह के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 1469/6 रकबा 4 बीघा खातेदार छगनलाल, नवलराम पिता लालु जटिया सा. देह के नाम से दर्ज है। नवीन सेटलमेंन्ट के बाद वर्तमान जमाबंदी में आराजी नम्बर 3420 (गत आराजी नम्बर 1469/3) रकबा 0.8600 हैक्टेयर खातेदार गीताबाई पत्नी भेरूलाल जटिया के नाम दर्ज है। नवीन आराजी नम्बर 3423 (गत आराजी नम्बर 1469/6) छगनलाल, नवलराम, पुत्र लालु जटिया के नाम दर्ज है। रिपोर्ट व दस्तावेज के अध्ययन से यह पाया कि नवीन सेटलमेंट के दोरान उक्त दोनों खातेदार की भूमि का नवीन नक्शे में गलत तरमीम दर्ज कर दी है। आ.न. 3423 के स्थान पर आ.न. 3420 एवं आ.न. 3420 के स्थान पर आ.न. 3423 अदला–बदली कर अंकन कर दिया है। मौके की स्थिति के अनुसार आ.न. 3423 रकबा 0.8600 है० पर खातेदार गीताबाई पत्नी भेरूलाल जटिया काबिज है व आ.न. 3420 पर खातेदार छगनलाल, नवलराम पिता लालु जटिया काबिज है। प्रकरण में प्रभावित खातेदार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त गलत तरमीम को सही किये जाने का निवेदन किया तथा अपनी सहमति दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:21 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि आ.न. 3423 के स्थान पर आ.न. 3420 व आ.न. 3420 के स्थान पर आ.न. 3423 अदला–बदली होकर गलत तरमीम होने से न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

GCMSसंख्या 2021/838
प्रकरण संख्या 89/21
गीताबाई बनाम राज्य सरकार

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 आराजी नम्बर 3420 के स्थान पर आराजी नम्बर 3423 एवं आराजी नम्बर 3423 के स्थान पर आराजी नम्बर 3420 प्रस्तावित नक्शा ट्रेस C के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 22.03.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:21 IST
Reason: SelfAttested